Helpline 1064

94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

- **सवाईमाधोपुर में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी 20 हजार रूपये रिश्वत राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया**
- **आवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी**

जयपुर, *18 अक्टूबर।* ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर एसीबी की सवाईमाधोपुर इकाई द्वारा आज सोमवार को कार्यवाही करते हुये इन्द्रसिंह राजपूत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, रीडर कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर को परिवादी से 20 हजार रूपये की रिश्वत राशि लेते हुये रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी ने बताया कि ए.सी.बी. की सवाईमाधोपुर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत दी गई कि उसकी दूकान पर हुई छापे की कार्यवाही के केस में जेल भेजने एवं तीन लाख रुपये जुर्माने का भय दिखाकर इन्द्रसिंह राजपूत अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, रीडर कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा 30 हजार रूपये रिश्वत राशि मांगकर परेशान किया जा रहा है।

जिस पर एसीबी सवाईमाधोपुर इकाई के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री सुरेन्द्र कुमार शर्मा** के नेतृत्व में शिकायत का सत्यापन किया जाकर आज उनकी टीम के साथ ट्रेप कार्यवाही करते हुये इन्द्रसिंह राजपूत पुत्र स्व. श्री नारायण सिंह निवासी बरनाला, पुलिस थाना बाटोदा, सवाईमाधोपुर हाल प्लॉट नं0 02, गौतम कॉलोनी, सवाईमाधोपुर हाल अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी, रीडर कार्यालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर को परिवादी से 20 हजार रूपये रिश्वत की राशि लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी के अतिरिक्त महानिदेशक श्री दिनेश एम.एन. के निर्देशन में आरोपी के निवास एवं अन्य ठिकानों की तलाशी जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

एसीबी महानिदेशक, श्री भगवान लाल सोनी ने समस्त प्रदेशवासियों से अपील की है कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की ***टोल–फ्री हैल्पलाईन नं.*** **1064** *एवं* ***Whatsapp हैल्पलाईन नं.*** **94135–02834** पर 24X7 सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। **एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी मदद करेगी।** विदित रहे कि एसीबी राजस्थान राज्य में राज्य कर्मियों के साथ–साथ केन्द्र सरकार के कार्मिकों के विरूद्ध भी कार्यवाही करने को अधिकृत है।